50 करोड़ की एम.डी. ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 25 हजार का इनामी तस्कर गिरफ्तार

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और प्रतापगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने प्रतापगढ़ जिले की थाना पीपलखूंट और डीएसटी के सहयोग से एम.डी. ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से 25 हजार रुपये इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी जमशेद उर्फ जम्मु लाला निवासी देवल्दी को गिरफ्तार कर फैक्ट्री से भारी मात्रा में एमडी पाउडर, केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये है। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 करोड रुपए आंकी गई है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि टीम को आरोपी के बारे में इनपुट मिले थे। इस सूचना पर इन्होंने कई दिनों तक रैकी कर पुष्टि की। जिसमे टाण्डा बड़ा, सरहद बोरी मोजल के ईश्वर मीणा के झोंपड़े में इनामी तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला द्वारा एमडी ड्रग बनाने की जानकारी मिली। जिसके बाद जिसके बाद स्थानीय थाना पीपलखूंट और डीएसटी को सूचना देकर छापा मारा गया।

अवैध फैक्ट्री से पुलिस ने आरोपी जमशेद उर्फ जम्मु लाला को गिरफ्तार कर करीब 50 करोड़ रुपये कीमत की 17.4 किलोग्राम एमडी पाउडर, 70 किलो ग्राम से अधिक केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।

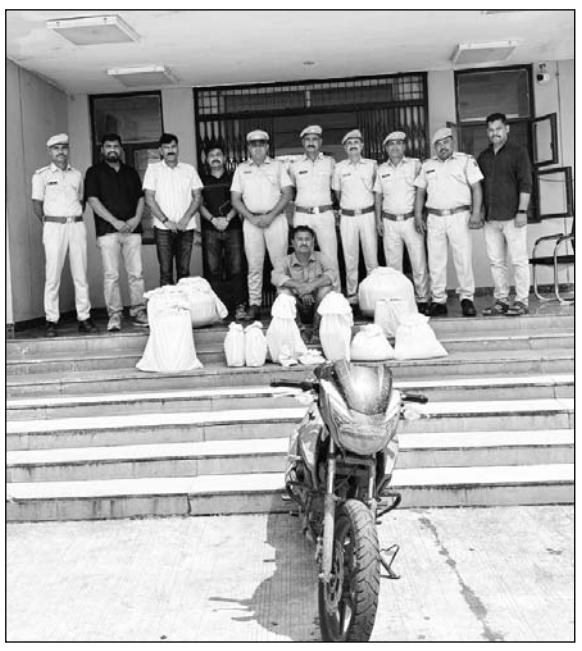

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और प्रतापगढ़ पुलिस ने एम.डी. ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया।

- **17.4 किलो एम.डी. पाउडर और 70 किलो केमिकल व उपकरण जब्त**
- **हाल ही में आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति भी हुई थी फ्रीज**

यह मामला 16 दिसंबर 2024 का है, जब एजीटीएफ और थाना अरनोद पुलिस ने देवल्दी गाँव में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 करोड़ रुपये कीमत के 11.450 किलोग्राम लिक्विड एमडीएमए, 14.770 किलोग्राम अन्य लिक्विड केमिकल, 4.900 किलोग्राम केमिकल और 2.500 किलोग्राम सफेद पाउडर सहित एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण जब्त किए थे। इस मामले में आरोपी याकुब पुत्र फकीरगुल, जमशेद उर्फ जम्मू लाला और साहिल पुत्र सलीम निवासी देवल्दी थाना अरनोद प्रतापगढ़ फरार हो गए थे। जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी प्रतापगढ़ द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी याकूब खां मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। वित्तीय जांच में यह सामने आया कि उसने वर्ष 2024 में अपनी पत्नी बखमीना बी के नाम पर मध्य प्रदेश के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में एक होटल/लॉज खरीदा था। जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। इसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार के निर्देश पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(1) के तहत उक्त सम्पत्ति को 28 अगस्त को फ्रीज कर दिया।

इस संयुक्त कार्रवाई में एजीटीएफ के हेड कांस्टेबल महावीर सिंह कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार की विशेष भूमिका रही।

वहीं प्रतापगढ़ डीएसटी के प्रभारी उप निरीक्षक रविंद्र पाटीदार सहित टीम के सदस्यों उप निरीक्षक पन्नालाल, एएसआई प्रताप सिंह, कांस्टेबल विनोद, नरेंद्र सिंह, पंकज, रमेश चंद, हेमेन्द्र सिंह, संदीप, रमेश चंद व अरविंद सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसएचओ पीपलखूंट नरेश पाटीदार और उनकी टीम भी इस कार्रवाई का हिस्सा रही।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव की शिष्टाचार भेंट

प्रदेश में ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाने एवं रेलवे विकास कार्यों को लेकर हुई विस्तृत चर्चा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरुवार को केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की।

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरुवार को केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय रेल मंत्री ने राजस्थान में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान लॉजिस्टिक हब के लिए भरतपुर रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान, दिल्ली से जैसलमेर, उदयपुर से जोधपुर, बांसवाड़ा से दिल्ली एवं डूंगरपुर से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी सुविधा में विस्तार पर चर्चा हुई। शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी को भी रेलवे सुविधा से जोड़ने को लेकर वैष्णव से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री से प्रदेश में रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के कार्यों में गति लाने एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की।

केन्द्रीय विधि मंत्री के वायरल वीडियो से बीकानेर में बेंच स्थापना को हवा

जयपुर (कासं)। सोशल मीडिया पर केन्द्रीय विधि मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे सीजेआई बीआर गवई की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की जानकारी दे रहे हैं। शहर का वकील समुदाय वायरल वीडियो में केन्द्रीय मंत्री की ओर से कही बात को बीकानेर में बेंच स्थापना की कवायद से जोड रहा है। वहीं इसी आधार पर शहर के वकीलों ने शुक्रवार को न्यायिक कामकाज से दूर रहने का निर्णय लिया है।

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, दी बार एसोसिएशन और दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से गुरुवार को इस संबंध में आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में तीनों बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक दिन न्यायिक कामकाज से दूर रहने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव रमित पारीक ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री के वीडियो से बीकानेर में हाईकोर्ट की पीठ स्थापित करने को लेकर वकीलों में भ्रम पैदा हो गया है। विधि मंत्री ने अपने बयान में सीजेआई कार्यालय को लेकर भी अपने कुछ कहा है। जिसके चलते पूरा विधिक समुदाय दुखी है। ऐसे में शुक्रवार को न्यायिक कामकाज में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर केन्द्रीय विधि मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे कह रहे हैं कि सितंबर माह में सीजेआई बीआर गवई बीकानेर दौरे पर आ रहे हैं।

- **शहर के वकील आज नहीं करेंगे न्यायिक कामकाज**

मामले में कोई प्रोग्रेस हुई है और धरातल पर कुछ काम हुआ है। वे आएंगे उस समय ही इसकी जानकारी दी जाएगी। वकीलों का कहना है कि केन्द्रीय विधि मंत्री बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने के संबंध में यह जानकारी दे रहे हैं।

कॉलेज जा रही छात्रा से छेड़छाड़ के बाद अपहरण का प्रयास

जयपुर। बस्सी थाना इलाके में एक परिचित ने कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ कर उसके अपहरण का प्रयास किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी घर पहुंच आने परिजनों को दी। जिसके गुस्साए परिजनों ने पीड़िता को थाने ले जाकर आरोपी परिचित के खिलाफ छेड़छाड़ व जबरन कार में बैठाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

पुलिस ने बताया कि कोटखावदा निवासी 20 वर्षीय युवती का आरोप है की वह एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करती है। सुबह करीब 9 बजे वह कॉलेज जाने के लिए निकली थी। रास्ते में एक कार सवार बार-बार आगे-पीछे होकर उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में आरोपी परिचित ने कार आगे लगाकर उसे रोक लिया। उसके साथ छेड़छाड़ कर जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने युवती को जाने से मारने की धमकी दी। जिसके बाद राहगीरों की भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई।

बीटेक अभ्यर्थियों को राहत, मैरिट में आएं तो नियुक्ति दें

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में मामले में बीई, बीटेक व कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट में आने पर समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने को कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश अभिषेक शाह, परविन्दर कौर व अन्य की याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की कमेटी ने 10 जून 2025 को हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया था कि इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में बीई, बी.टेक की डिठी व सीसीसी वाले अभ्यर्थी आरएससीआईटी के समकक्ष है। ऐसे में जहां पर भी आरएससीआईटी की अनिवार्यता होगी वहां पर बीई-बीटेक वालों को भी इसके समकक्ष माना जाएगा। इसलिए याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

मामले से जुड़े आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने इस भर्ती में भाग लिया था। वे भर्ती की अंतिम कट ऑफ मेरिट में भी आ गए, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्हें नियुक्ति से यह कहते हुए वंचित कर दिया कि उनके पास आरएससीआईटी प्रमाण पत्र नहीं है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि उनके पास इस प्रमाण पत्र से उच्च डिठी है। इसलिए उन्हें सभी सेवा परिलाभ सहित नियुक्ति दी जाए।

योग के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य, संस्कार और समृद्धि का बीजारोपण करें

पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केन्द्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थदेव ने किया राजस्थान दौरा

जयपुर (कासं)। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केन्द्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थदेव ने 2 से 10 सितंबर तक पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों में 2500 किलोमीटर की निरंतर सड़क मार्ग यात्रा करते हुए 8 दिवसीय निःशुल्क इंटिग्रेटेड योग शिविर और 7 जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठकें व अनेकों स्कूलों में संगोष्ठी की। उन्होंने करीब 20 हजार से अधिक योग साधकों व जनमानस को योगऋषि स्वामी रामदेव तथा आचार्य बालकृष्ण के संकल्पों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि भारतीय योग परंपरा विश्व की सबसे अर्वाचीन और प्राचीन योग परम्परा है, यह महर्षि पतंजलि के तप से वरदान स्वरूप हमें प्राप्त हुई है। जिसे विश्वयोग गुरू स्वामी रामदेव और आयुर्वेद आचार्य बालकृष्ण महाराज ने पुनर्स्थापित करने का प्राण प्रण संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य-संस्कार और समृद्धि का बीजारोपण करें। प्रतिदिन के योग से जब स्वस्थ शरीर और विचारों से परिपूर्ण मनुष्य होगा, तभी यह देश विकसित भारत बनकर संसार को नेतृत्व प्रदान कर सकेगा। स्वामी परमार्थदेव ने जोधपुर, जैसलमेर, तनोट, चौहटन, बाड़मेर, सांचौर, सुमेरपुर और पाली में विशेष इंटिग्रेटेड योग शिविर में लोगों को संबोधित किया और योगाभ्यास कराया। जैसलेर के तनोट माता मंदिर में बीएसएफ के जवानों के साथ भी योगाभ्यास किया गया।

पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केन्द्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थदेव ने पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों में 8 दिवसीय निःशुल्क इंटिग्रेटेड योग शिविर लगाया।

कार्यक्रम के दौरान भारत स्वाभिमान न्यास के राज्य प्रभारी करनाराम चौधरी, पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी समदर सिंह, पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी हुकमाराम राव, पतंजलि युवा भारत के राज्य प्रभारी नरेन्द्र परिहार, पतंजलि सोशल मीडिया के राज्य प्रभारी दिलीप कुमार तिवाड़ी तथा मदन मोहन मौजूद थे।

संसद में लगे मीरा बाईसा की प्रतिमा

जयपुर/दिल्ली। युवा शक्ति संयोजन के तत्वावधान में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित क्षत्राणी समागम में सैकड़ों क्षत्राणियों ने एक स्वर में मीरा बाईसा की प्रतिमा संसद भवन परिसर में स्थापित करने की मांग उठाई। कार्यक्रम के मुख्य ध्वजवाहक शक्ति सिंह बांदीकुई ने कहा कि मीरा बाईसा त्याग, भक्ति और नारी आत्मबल की प्रतीक हैं, उन्हें राष्ट्र स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए। मुख्य अतिथि मेघराज सिंह रॉयल ने इसे मातृशक्ति की चेतना को जागृत करने वाला आयोजन बताया।क्षत्राणी ध्वजवाहकों - कमोद राठौड़, सुनीता कंवर और सीमा कंवर - ने बलिदानी वीरांगनाओं को नमन करते हुए समाज की एकजुटता का आ ान किया। समागम में हाड़ी रानी, बाला सती माता और सती रूप कंवर के बलिदान व तप को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय को अन्य जगह शिफ्ट करने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

दौसा जिले की महवा तहसील के गांव हडिया में साल 2022 में स्वीकृत हो चुके केन्द्रीय विद्यालय का मामला

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले की महवा तहसील के गांव हडिया में साल 2022 में स्वीकृत हो चुके केन्द्रीय विद्यालय को मौजूदा जगह से 15 किमी दूर वीरपुर में शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू करने पर सीएस, जिला कलेक्टर दौसा व केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त सहित अन्य से जवाब माना है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश विष्णु कुमार कुशवाहा व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से गांव हडिया केन्द्रीय विद्यालय को मंजूर किया गया। इसकी लैंड एवं बिल्डिंग सूटेबिलिटी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेजने के बाद केन्द्र सरकार ने भी इस जगह पर केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा की। इस दौरान तत्कालीन एमएलए ने भी विधायक कोष से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 कमरे बनवाने के लिए स्वीकृति दी। जिससे कि केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण पूरा होने तक तक उसे यहां पर शुरू किया जा सके। याचिका में कहा गया कि राजनीतिक कारणों से इस केन्द्रीय विद्यालय को करीब पन्द्रह किलोमीटर दूर शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने भी गत 29 जनवरी को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त को पत्र लिखकर स्कूल के लिए दूसरी जगह तलाशने के लिए कहा। इसे चुनौती देते हुए कहा है कि जब पूर्व में केन्द्रीय विद्यालय को तय जगह पर मंजूरी मिल गई है तो अब इसे किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

सफाई कर्मचारी पद पर परिवार के तीन सदस्य चयनित हुए हैं तो नियुक्ति सिर्फ एक को ही क्यों?

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख स्वायत्त सचिव, आयुक्त और नगर निगम कोटा-दक्षिण से जवाब मांगा

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम कोटा की सफाई कर्मचारी भर्ती-2012 में एक ही परिवार से तीन सदस्यों के चयनित होने पर उनमें से केवल एक को ही नियुक्ति देने पर प्रमुख स्वायत्त सचिव, विभाग के आयुक्त और नगर निगम कोटा-दक्षिण से जवाब मांगा है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि चयनित होने के बाद भी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित क्यों किया गया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सीता चौहान व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने साल 2012 की सफाई कर्मचारी भर्ती में भाग लिया था।

इसमें याचिकाकर्ताओं के परिवार के तीन सदस्यों का चयन हुआ, लेकिन नियुक्ति एक सदस्य को ही दी गई। मामले में हाईकोर्ट ने 11 फरवरी 2025 को याचिकाकर्ताओं को संबंधित पक्षकारों के समक्ष प्रतिवेदन देने और अधिकारियों को प्रतिवेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। जिस पर नगर निगम कोटा-दक्षिण ने 9 जुलाई 2025 को याचिकाकर्ताओं का प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिया और खाली पदों का हवाला देकर उन्हें कार्यठाहण नहीं कराते हुए कहा कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को नियुक्ति दी जाएगी। इसे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में पुनः चुनौती देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2017 व 11 मई 2017 के आदेश में स्पष्ट किया है कि नगर निगम की ओर से नियुक्ति के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी।

वहीं नगर निगम ने समान मामले में ही 2012 में चयनित 11 सफाई कर्मचारियों को 20 जनवरी 2025 को कार्यठाहण कराया है। इसके अलावा नगर निगम में 836 पद अभी भी खाली हैं। इसलिए उन्हें नियुक्ति दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

बाजरा खरीद शुरू करे सरकार, नहीं तो होगा आंदोलन : रेड्डी

जयपुर। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. साई रेड्डी ने राज्य सरकार पर किसानों से किए वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की थी, लेकिन अब तक खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। यह घोषणा केवल एक चुनावी वादा बनकर रह गई है। रेड्डी बुधवार को संघ के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की प्रमुख मांग है कि बाजरा खरीद प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

विवादित राशि के बजाए पूरा खाता फ्रीज किया

हाईकोर्ट ने डी-फ्रीज करने के आदेश दिए

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी को लेकर विवादित राशि के बजाए कचौड़ी बेचने वाले का पूरा बैंक खाता फ्रीज करने के मामले में राहत दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता का खाता डी-फ्रीज करने के आदेश देते हुए इस बिंदु पर समान प्रकृति के मामलों से जुड़े वकीलों को अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में अदालत का सहयोग करने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश पदम कुमार जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच एजेंसी की अनुमति के बिना खाता बंद नहीं करेगा और यदि याचिकाकर्ता की भूमिका सामने आए तो उस पर कार्रवाई की जाए। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और आरबीआई के वकीलों को भी इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों से कोर्ट को अवगत कराने को कहा है।

याचिका में अधिवक्ता अक्षत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता कचौड़ी विक्रेता के बैंक खाते में पांच हजार रुपए का संदिग्ध लेनदेन बताकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंक खाता फ्रीज कर दिया। बैंक प्रशासन ने बताया कि तेलंगाना पुलिस में दर्ज साइबर अपराध को लेकर दिए निर्देश पर उसका खाता बंद किया गया है। खाता बंद होने से उसे व्यवसाय चलाने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में उसका खाता डी-फ्रीज किया जाए। इसका विरोध करते हुए बैंक की ओर से अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने कहा कि मामले में राष्ट्रीय पोर्टल पर हुई शिकायत पर तेलंगाना पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार अज्ञात साइबर अपराधियों ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। जिसकी याचिकाकर्ता के बैंक खाते में भी राशि जमा हुई है। मामले में जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय की एसओपी के आधार पर खाता बंद किया गया है। यदि ऐसे मामले में पूरा खाता फ्रीज नहीं किया जाए और बाद में ठग खाते से पूरी राशि दूसरे खातों में जमा कर दें तो मूल खाता धारक इसके लिए बैंक प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएगा। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता का बैंक खाता डी-फ्रीज करने के निर्देश देते हुए समान प्रकृति से जुड़े मामलों के वकीलों को अदालत का सहयोग करने को कहा है।

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पंचम चरण में निवेशकों को 7000 भूखंड़ उपलब्ध करवाएगा रीको प्रशासन

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। रीको प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 4 चरणों की अप्रत्याशित सफलता के पश्चात् पंचम चरण की शुरूआत 12 सितंबर से की जायेगी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के अंर्तगत 27 अगस्त 2025 तक राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू निष्पादित करने वाले निवेशक 12 से 26 सितंबर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा तथा आवेदन कर सकेंगे। इस चरण के अंतर्गत ई-लॉटरी 3 अक्टूबर को निकाली जायेगी।

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पंचम चरण में निवेशकों को रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों (नये एवं पुराने) में करीब 7000 भूखण्ड उपलब्ध करवाये जाएंगे। योजना में विभिन्न श्रेणियों-वर्गों जैसे एससी-एसटी महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों तथा अर्ध सैनिक बलों के मृतकों के आश्रितों के लिये भी भूखण्ड आरक्षित किये गये है।

- **राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के अंर्तगत 27 अगस्त 2025 तक राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू निष्पादित करने वाले निवेशक 12 से 26 सितंबर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा तथा आवेदन कर सकेंगे। इसकी ई-लॉटरी 3 अक्टूबर को निकाली जायेगी।**

मार्च-2025 में प्रारंभ हुई इस योजना के अंतर्गत रीको ने निवेशकों को प्रत्येक चरण में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो में 6 हजार से अधिक भूखण्डों में से अपनी रूचि एवं आवश्यकतानुसार आरक्षित दर पर सही भूखण्ड का चयन करने का अवसर दिया है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना- 2025 के पूर्ववर्ती चार चरणों में अब तक बड़ी संख्या में उद्यिमयों को भूखण्डों के लिये ऑफर लेटर दिये जा चुके हैं। रीको को इस योजना के अंतर्गत अब तक 1100 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके है।

रीको प्रशासन ने आवंटन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि, 50 हजार वर्गमीटर तक एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने की दशा में ई-लॉटरी के माध्यम से सफल आवेदक को आवंटन किया जायेगा।

इसी प्रकार 50 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक/विशेष औद्योगिक क्षेत्रों व पार्कों में आवेदक की पात्रता, भूमि की आवश्यकता इत्यादि के गुणावगुण के आधार पर आवंटन किया जायेगा। भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाईन जमा होगी। प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस कंपनी अथवा व्यक्ति के द्वारा एमओयू किया गया है, भूखण्ड उसी कंपनी अथवा व्यक्ति को आवंटित किया जा सकेगा।